–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव
राजस्व प्रकरण संख्या :– 122/2024

उनवान

योगेश बनाम भागचन्द

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

दिनांक :– 20.11.24

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का संपरिवर्तन हो चुका है। अतः वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकर माननीय न्याालय को नही है। उक्त वाद विधि विरूद्व होने के कारण खारिज योग्य है।

अधिवक्ता वादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है, जो साबिक राजस्व अभिलेख से स्पष्ट है। उपरोक्त कृषि भूगि की प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने फर्जी व कूटरचित विकय पत्र कराया जो दिनांक 02.03.2024 को सिविल वाद पेश किया गया। तत्पश्चात दिननांक 08.04.24 को संपरिवर्तन आदेश कराया जो दस्तावेज शून्य होने से वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को ही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वादग्रस्त आराजी की खातेदारी हक हेतु वाद सिविल न्यायालय में पेश नही किय जा सकता है। बिना खातेदारी वाद के संपरिवर्तन व विक्रय पत्र खारिज नही किया जा सकता अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद दिनांक 12.06.24 को न्यायालय में दर्ज किया गया। वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी मुतनाजा उनकी पैतृक है तथा आराजी मुतनाजा का फर्जी व कूटरचित विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा करा लिया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का कथन है कि आराजी मुतनाजा कृषि भूमि है। वादीगण द्वारा समस्त आराजी का वाद पेश नही किया है। विक्रय पत्र फर्जी होने के तथ्य सिविल न्यायालय द्वारा तय किये जायेगे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार आराजी मुतनाजा के चौसाला खसरा नम्बर 5836 रकबा 1–11–0 चौसाला जमाबंदी में सम्वत् 2022 से 2025 में वादीगण के पूर्वज रामचन्द्र उर्फ रमेशचन्द्र पि. सुवालाल के नाम खातेदारी दर्ज थी। उक्त आराजी के अतिरिक्त अन्य भूमि भी वादीगण के पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 के खाता संख्या 167 में किता 19 रकबा 19–7–0 भूमि वादीगण के पूर्वज की खातेदारी में दर्ज थी। वादीगण द्वारा मात्र चौसाला खसरा नम्बर 5836 रकबा 1–11–0 की खातेदारी हेतु वाद पेश किया है। शेष आराजी बाबत वादीगण द्वारा वाद पेश नही करने का कारण वाद में अथवा दौराने बहस स्पष्ट नही किया है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 भागचन्द द्वारा सिविल न्यायलय में आराजी मुतनाजा के विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु वाद पेश किया है जो विचाराधीन है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आराजी मुतनाजा का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को किया जा चुका है। तथा आराजी मुतनाजा का अकृषि कार्य हेतु संपरिवर्तन भी हो चुका है। वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:09:58 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

द्वारा उक्त वाद भूमि के पुश्तैनी होने के कारण खातेदारी प्राप्त करने के लिये पेश किया है जबकि उनके पिता द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्व पृथक से विक्रय पत्र निरस्त करने का वाद पेश किया है। वादीगण का कथन है कि उक्त विक्रय पत्र फर्जी व कूटरचित है। किन्तु पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता का निर्धारण हाजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही हैं। आराजी मुतनाजा का संपरिवर्तन किया जा चुका है भूमि कृषि भूमि नही रही है। सिविल न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र के सबंध में किये गये निर्णय से वादी व प्रतिवादी के मध्य उत्पन्न विवाद का निर्धारण किया जा सकता है। भूमि पैतृक होने के बावजूद आंशिक भूमि का वाद पेश करना व वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा समान आराजी बाबत भिन्न–भिन्न वाद पेश करना वाद के कथनों पर संदेह उत्पन्न करता है। अतः प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस व प्रार्थना पत्र में उठाये गये तथ्यों से वाद विधि द्वारा वर्जित सिद्व होता है। वाद इसी स्तर पर निरस्त करने योग्य है।

अतः प्रतिवादीगण /प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:09:58 IST
Reason: SelfAttested